[मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित]

**मध्यप्रदेश विधेयक**

क्रमांक २० सन् २०१४

# मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त ( संशोधन ) विधेयक, २०१४

**मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ को और संशधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम.**

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

**धारा ५ का संशोधन.**

२. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ (क्रमांक ३७ सन् १९८१) की धारा ५ में, उपधारा (१) में,

(एक) विद्यमान प्रथम परन्तुक में, शब्द ''परन्तु'' के स्थान पर, शब्द ''परन्तु यह और कि'' स्थापित किए जाएं;

(दो) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, शब्द ''परन्तु यह और कि'' के स्थान पर, शब्द ''परन्तु यह और भी कि'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु लोकायुक्त, उसकी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह बढ़ी हुई कालावधि किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:''.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यदि लोकायुक्त का पद उसकी पदावधि पूर्ण हो जान के कारण रिक्त होता है तो आगामी लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने में स्वाभाविक रूप से समय लग जाता है. लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर संगठन संबंधी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

२. अतएव, राज्य में लोकायुक्त संगठन के निर्बाध कार्यकरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ (क्रमांक ३७ सन् १९८१) की धारा ५ को, लोकायुक्त की पदावधि के सबंध में, यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २ दिसम्बर, २०१४

**लाल सिंह आर्य**
भारसाधक सदस्य.

## उपाबंध

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ (क्रमांक ३७ सन् १९८१) से उद्धरण

* * * * * * *

**धारा ५.** (१) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करे ''छह वर्ष'' की अवधि के लिए पद धारण करेगा, और तत्पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

''परन्तु उप-लोक आयुक्त की पदावधि तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि लोक आयुक्त द्वारा ऐसी सिफारिश की जाए.''.

''परन्तु यह और कि—

(क) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त राज्यपाल को संबोधित किए गये स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके दिए जाने पर तुरन्त प्रभावशील होगा;

(ख) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त धारा ६ में विनिर्दिष्ट की गई रीति में पद से हटाया जा सकेगा.

* * * * * * *

**भगवानदेव ईसरानी**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.